रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052025-263447
CG-DL-E-28052025-263447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2025/ज्येष्ठ 7, 1947
No. 306] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2025/JYAISTHA 7, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2025

सा.का.नि. 349(अ).— अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) (पहला संशोधन) नियम, 2025 का प्रारूप, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 29 अक्टूबर, 2024 में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 673(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख जिसको, उक्त अधिसूचना को अंतवर्लित करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 29 अक्टूबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में केंद्रीय सरकार को जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 51 की उपधारा (1) और धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यठ) और खंड (ययक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्,-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) संशोधन नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में-

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,-

"(कख) "वर्गीकरण सोसायटी" से, अधिनियम की धारा 3 के खंड (यण) अर्थान्तर्गत कोई ऐसा मान्यताप्राप्त संगठन अभिप्रेत है, जो वर्गीकरण सोसायटियों के अंतर्राष्ट्रीय संगम का सदस्य है ;";

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात,-

"स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार माप के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ,1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टन भार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1987 के नियम 3 के अनुसार की जाएगी ;";

3. उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक जीवन रक्षक उपकरण को वर्गीकरण सोसायटी द्वारा या वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(1क) यथास्थिति, अनुमोदन या इसके स्वरूप का अनुमोदन उपनियम (1) के अधीन प्रदान किया जाएगा जो निम्नलिखित विनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन के अध्यधीन होगा-

(क) समुद्र में जीवन सुरक्षा के लिए अभिसमय, 1974 में प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय जीवन रक्षक उपकरण संहिता ; या

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ।"

[फा.सं. आईडबल्यूटी-11011/91/2021- आईडबल्यूटी (7)]

पी के रॉय, संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी-II)

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 7 जून, 2022 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 425(अ) तारीख 7 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2025

G.S.R. 349(E).— Whereas draft of the Inland Vessels (Life Saving Appliances) (First Amendment) Rules, 2024 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 673 (E), dated the 29th October, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th October, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 29th October, 2024;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 and clause (e) of sub-section (1) of section 98 read with clause (zl) and (zza) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022, namely. –

1. (1) These rules may be called the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),–

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted,namely:–

"(ab) "classification society" means a recognised organisation within the meaning of clause (zo) of section 3 of the Act which is a member of theInternational Association of Classification Societies;";

(b) in clause (c), the following explanation shall be inserted, namely:–

"*Explanation.*– For the purposes of this clause, gross tonnage of vessels of 24 meters or above shall be calculated according to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, whereas gross tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to rule 3 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987;";

3. In rule 7 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rulesshall be substituted, namely:–

"(1) Every life-saving appliance under these rules shall be approved by the Classification Society or by the Mercantile Marine Department.

(1A)The approval or type-approval, as the case may be, shall be granted under sub-rule (1), subject to compliance with the standards specified in–

(a) the International Life Saving Appliance Code provided in the Convention for the Safety of Life at Sea, 1974; or

(b) the International Organisation for Standardisation.".

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(7)]

P. K. ROY, Jt. Secy. (IWT-II)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th June, 2022, *vide* notification number G.S.R. 425(E), dated the 7th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.05.28 21:34:50 +05'30'